भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.:-- **Date:**22/07/2009

यूनिट लिंक्ड उत्पाद-प्रभारों पर कैप

आईआरडीए ने 21 दिसंबर, 2005 को यूलिप के विभिन्न पहलुओं के संबंध में एक परिपत्र जारी किया और बाद में लाभ दृष्टांत के बारे में दूसरा परिपत्र (दिनांकित, जनवरी 25, 2008) जारी किया। आज लगभग सभी बीमा कंपनियों के पास अनेक यूलिप हैं और प्रत्येक उत्पाद के अन्तर्गत विभिन्न प्रभार हैं। इस उद्देश्य से कि ग्राहकों में उत्पाद की स्पष्ट समझ विकसित हो और वह यूलिप की विभिन्न विशेषताओं को समझ सके यह तय किया गया कि आईआरडी सभी प्रभारों को मिलाकर एक कैप निर्धारित करेगा।

बीमा उत्पाद दीर्घकालिक बचत साधन हैं और पालिसी के निर्धारणों से ग्राहकों को अल्पकालिक के बजाय दीर्घकालिक सुरक्षा सह बचत की ओर आकर्षित होने में मदद मिलनी चाहिए।

उपरोक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आईआरडीए ने प्रभारों पर कैप निर्धारित किया है। यह कैप ग्राहकों को सकल और निवल लाभों के बीच अन्तर के रूप में व्यक्त किया जाता है। निवल लाभ, सभी प्रभार समायोजित सकल लाभ है ! बीमा अनुबंध, जो दस साल से कम या 10 साल की अवधि के होते हैं, उनमें सकल और निवल लाभ में अन्तर 300 बेसिक पाइंट से अधिक नहीं होगा, जिसके निधि प्रबंधन प्रभार 150 बेसिस पाइंट से अधिक नहीं होंगे। अन्य अनुबंधों के लिए अर्थात् जिनकी अनुबंध अवधि 10 वर्ष से अधिक है, सकल और निवल लाभों में अंतर 225 बेसिस पाइंट से अधिक नहीं होगा, जिसके निधि प्रबंधन प्रभार 125 बेसिस पाइंट से अधिक नहीं होंगे।

आईआरडीए ने जीवन बीमा उद्योग को, 22 जुलाई, 2009 को एक परिपत्र जारी किया था और इस परिपत्र में वे अन्य विशेषताएँ शामिल हैं, जिनका बीमाकर्ताओं को पालन करना चाहिए।

यह परिपत्र 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा ताकि वे सभी उत्पाद जो आईआरडीए द्वारा 1 अक्तूबर, 2009 को या उसके बाद मंजूर किये जाएँगे, इस परिपत्र के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। वे सभी विद्यमान उत्पाद जो इस परिपत्र की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, हटा दिये जाने चाहिए या 31 दिसंबर, 2009 तक संशोधित किये जाने चाहिए।

आर. कन्नन
सदस्य (बीमांकिक)